



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-538 राँची, सोमवार,

25 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2021

संख्या-3/मु०-03-04/2018का.6453-श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 835ए/03) द्वारा दिनांक 11.01.2016 के प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 के प्रावधान के अनुसार तदर्थ प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर WP(S) No. 4779/2018 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.10.2020 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

" The respondent are directed to consider the case of the petitioner in the light of resolution no. 6227 dt. 20.11.2008."

2. श्री संजय कुमार, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ़ नगर परिषद द्वारा WP(S) No. 4779/2018 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में तदर्थ प्रोन्नति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है ।

3. न्यायादेश के अनुपालन हेतु दिनांक 11.02.2021 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई ।

4. विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा श्री संजय कुमार (कोटि क्रमांक- 835ए/03) के संबंध में निम्नांकित अनुशंसा की गई है:-

“श्री संजय कुमार के विरुद्ध दायर CBI/SPE/EOW/Ranchi RC Case no. 3(S)/14EOW-R में CBI से परामर्श प्राप्त कर संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-5 के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा समीक्षा कर नियुक्ति पदाधिकारी का आदेश प्राप्त किया जाय।”

5. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-5 निम्नवत है :-

“कार्यवाही निष्पादन में विलम्ब की स्थिति में तदर्थ प्रोन्नति की संभावना :- उपर्युक्त कंडिका-4 में उल्लिखित छमाही समीक्षा किये जाने के बावजूद, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसने सरकारी सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तिथि से दो साल बाद भी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे सरकारी सेवक के मामले की समीक्षा करें। अगर वह सरकारी सेवक निलम्बनाधीन न हो, तो निम्नांकित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाय :-

(क) क्या सरकारी सेवक की प्रोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी ?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे प्रोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के पूरा होने की संभावना है ?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित सेवक का कोई हाथ है ?

(ङ.) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित सेवक तदर्थ प्रोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय मामले/ आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ?

नियुक्ति प्राधिकार यदि उचित समझे तो कारणों को लिखित रूप से दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय, निगरानी विभाग अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिनके प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक अभियोजन प्रारम्भ हुआ था, से परामर्श लिया जा सकता है। किन्तु नियुक्ति प्राधिकार इस संकल्प में उल्लिखित निदेशों के विपरीत परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

6. दिनांक 11.02.2021 को सम्पन्न प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आरक्षी अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध शाखा, राँची से श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता के विरुद्ध दर्ज कांड संख्या CBI/SPE/EOW/Ranchi RC Case no. 3(S)/14EOW-R में विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-5 के आलोक में उन्हें तदर्थ प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में स्पष्ट परामर्श प्रतिवेदित करने का अनुरोध किया गया।

7. पुलिस अधीक्षक/एच०ओ०बी०, सी०बी०आई०, ई०ओ०बी०, राँची के पत्रांक 1445/3/3/S/2014-EOW-R दिनांक 07.04.2021 के द्वारा श्री संजय कुमार के संबंध में निम्नांकित परामर्श दिया गया -

"The allegation against Sh. Sanjay Kumar is regarding abuse of official position for excess mutation. The allegation is serious in nature and hence, promotion of Sh. Sanjay Kumar will definitely not be in public interest.

However, the department is at liberty to take decision in accordance to the guidelines issued in this regard."

8. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-5 के आलोक में आरक्षी अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त मंतव्य के मद्देनजर श्री संजय कुमार, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ़ नगर परिषद द्वारा WP(S) No. 4779/2018 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में तदर्थ प्रोन्नति हेतु दिनांक 16.10.2020 को समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई ।

9. समीक्षोपरांत WP(S) No. 4779/2018 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.10.2020 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 835ए/03) द्वारा तदर्थ प्रोन्नति हेतु दिनांक 16.10.2020 को समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
